न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 18/2015 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः— 2015/00174

उनवान

1. सोन्या पुत्र छीतर जाति मीना निवारी आटूण खुर्द तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर राजस्थान। (मृतक)
   1/1. फुला देवी पत्नी सोन्या
   1/2. घमण्डी लाल पुत्र सोन्या
   1/3. ठण्डी लाल पुत्र सोन्या

   समस्त जातियान मीना निवासीयान आटून खूर्द तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
   ...अपीलांट।

बनाम

1. जगराम पुत्र बजरंगा
2. श्रीमति काली पत्नी अम्बालाल
3. श्रीमति गुडडी पत्नि मीठालाल
4. चरतबाई पत्नी कैलाश
5. तहसीलदार सवाई माधोपुर राजस्थान।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः—

1. श्री विष्णु सोमानी अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 ता 04।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित।

——:: निर्णय ::——

दिनांकः 11.07.20..

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद पत्र 98/2011 बउनवान सोन्या बनाम जगराम में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2015 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् इस आशय का पेश किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

ग्राम आटून खूर्द तहसील सवाई माधोपुर में स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 447/4 रकबा 05 बीघा हाल खसरा नंबर 819 रकबा 1.26 हे0 प्रतिवादी जगराम पुत्र बजरंगा मीना की खातेदारी की आराजी थी, जगराम ने इस भुमि को वादी को जरिये इकरारनामा जेठ सुदी पूर्णिमा संवत् 2046 को 20,000 रूपये की राशि मे बेच दी थी। उसी दिन से वादी को प्रतिवादी द्वारा कब्जा संभला दिया गया, तब से लेकर आज तक वादी इस भूमि को काश्त कर सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 के मन मे बेईमानी आने के कारण उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या एक ने प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 के नाम दिनांक 22.06.04 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर करवा दिया जबकि उक्त भूमि को पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी को बेचा जा चूका है। अतः अनुतोष चाहा गया कि दिनांक 22.06.04 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी के अधिकारो के विरूद्व शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावें, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। मातहत अदालत ने दिनांक 19.02.2015 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि " रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है बल्कि सिविल न्यायालय को है। एग्रीमेन्ट की पालना मे पंजीयन कराने का दावा पेश किये बिना वादी का दावा बाबत् इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है। एग्रीमेन्ट के आधार पर विक्रय पत्र के पंजीयन का व प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 के तहरीर हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का दावा सुनने का एकमात्र अधिकार सिविल कोर्ट को है, ना कि रेवेन्यू कोर्ट को। " उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है ना कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसे तनकी बनाकर उभयपक्षों की साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किया जा सकता है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया है कि कृषि भूमि पर राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र को शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का पूर्ण अधिकार है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अदालत मातहत ने वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया जो विधि विपरीत है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 19.02.2015 को अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है। अपीलांट/वादी ने उक्त भूमि पर मकान बना कर विधुत कनेक्शन करा रखा है आज भी विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है अपीलांट ने एडवर्स पजेशन के आधार पर उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को अनुतोष चाहा है। विवादित आराजीयात पर वादी का ओपन तथा होस्टाइल कब्जा 12 साल से अधिक वर्षों से लगातार एवं निरंतर चला आ रहा है। संवत् 2046 से ही वादी विवादित भुमि के एडवर्स पजेशन मे भी आज दिन तक वादी को उक्त भुमि से बेदखल नही किया गया है उक्त निरंतर एवं लगातार कब्जे के आधार पर एडवर्स पजेशन के आधार पर अपीलांट/वादी को खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो चुके है तथा अपीलांट/वादी को उक्त भुमि से बेदखल नही किया जा सकता है। इन सभी तथ्यों पर गौर किए बिना ही उक्त निर्णय पारित कर मातहत अदालत ने अहम् कानुनी भूल की है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 19.02.2015 को निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील को स्वीकार करने के समर्थन मे दृष्टांत **आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1110, डी.एन.जे. 2013 पेज 207, 2022(2) सी0जे0 (सीव0) (राज0) पेज 814, 2015 डी0एन0जे0 (राज0) पेज 341, 2019 (1) राज0 पेज 653** पेश किए।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात कभी भी अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड नही रही हैं और ना ही अपीलांट का उक्त विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त रहा है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय विधिवत् रूप से किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय यथावत् रखा जावें।

7. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

8. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकरन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2067–2070 वाके ग्राम आटूण कलां पटवार हल्का आटून कलां लैण्ड रिकार्ड हल्का ठींगला जटवाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 819 रकबा 1.26 है0 श्रीमति काली पत्नि अम्बालाल, गुडडी पत्नि मीठालाल, चतरबाई पत्नि कैलाश जाति मीना सा0 देह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की और से मुख्य बहस के समय इसी विवाद से संबंधित न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर मे पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.05 पेश की गई, जिसके अनुसार " विवादित भूमि खसरा नंबर 819 का निरीक्षण किया गया राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नंबर 819 मे कुआ बना हुआ नही है। कुआ खसरा नंबर 819 के पास की भूमि खसरा नंबर 815 मे बना हुआ है। " इससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 819 मे कोई कुआं नही बना हुआ है। मातहत अदालत की पत्रावली मे एक प्रमाणित प्रतिलिपि जिला एवं सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर राज0 के समक्ष प्रस्तुत 20 रूपये के स्टाम्प मे कही पर भी विवादित आराजी के खसरा नंबर 819 रकबा 1.26 है0 का अंकन नही है, न ही अपील मीमो मे खसरा नंबर का अंकन किया गया है। मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 19.02.2015 मे भी खसरा नंबर का कोई उल्लेख नही किया गया है। अतः अपीलांट/वादी इस तथ्य को साबित करने मे असफल रहे कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 819 रकबा 1.26 है0 उनके कब्जे काश्त की आराजी है। जमाबंदी संवत् 2067–2070 से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी की आराजीयात है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां चस्पा नही होते है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पाए जाने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 98/2011 बउनवान सोन्या बनाम जगराम में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2015 को यथावत् रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 11.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा) 11.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :—बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. सोन्या पुत्र छीतर जाति मीना निवासी आटूण खुर्द तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर राजस्थान (मृतक)

   1/1. फुला देवी पत्नी सोन्या

   1/2. घमण्डी लाल पुत्र सोन्या

   1/3. ठण्डी लाल पुत्र सोन्या

   समस्त जातियान मीना निवासीयान आटून खूर्द तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांट।

बनाम

1. जगराम पुत्र बजरंगा
2. श्रीमति काली पत्नी अम्बालाल
3. श्रीमति गुड्डी पत्नि मीठालाल
4. चरतबाई पत्नी कैलाश
5. तहसीलदार सवाई माधोपुर राजस्थान।

...रेस्पोडेन्टस्।

अपील संख्या :18/2015 (धारा 223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस संख्या :2015/00174 दिनांक 11.07.2023

अपील विरूद्ध आज्ञा: उपखण्ड अधिकारी बौंली

यह अपील व तारीख 11.07.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री विष्णु सोमानी अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पाए जाने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 98/201 बउनवान सोन्या बनाम जगराम में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2015 को यथावत् रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (मुहर)

हस्ताक्षर अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner